71/2015 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 71/2015 अनवानी 1–अभयबचनसिंह पुत्र रूपेन्द्रबचनसिंह 2–विजयबचनसिंह पुत्र रूपेन्द्रबचनसिंह 3–गुरविन्द्रकौर पत्नि रूपेन्द्रबचनसिंह साकिनान 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर जरिये मु0 आम अभयबचनसिंह बनाम 1–गुरजीतसिंह पुत्र हरजीत सिंह 2–कुलविन्द्रजीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह 3–हरिन्द्रजीत कौर पुत्री मनजीत सिंह साकिनान 5ए छोटी तह0 श्रीगंगानगर 4–हरमीतसिंह 5–रणजीतसिंह 6–बलजीत कौर 7– जगजीतसिंह (मृत्तक) के वारिसान बलविन्द्रकौर–हरशेरसिंह–रूपजीतकौर 8–अमरजीत कौर 9–दलजीतसिंह 10–तजेन्द्रसिंह 11–रूपेन्द्रजीतसिंह 12–सुदेश बलाना 13–तहसीलदार गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.02.2017

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री मनीषकुमार गर्ग उपस्थित है। अप्रार्थीगण कुलविन्द्रसिंह, हरिन्द्रजीतकौर, तजेन्द्रसिंह, रूपेन्द्रसिंह के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह उपस्थित है। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नही है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री कुलवंत सिंह का कथन है कि प्रार्थीगण द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 1/2013 अनवानी गुरजीतसिंह बनाम गुरविन्द्र कौर धारा 88, 183 आरटीए मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर में लम्बित प्रकरण संख्या 1/2013 अनवानी गुरजीतसिंह बनाम गुरविन्द्र कौर धारा 88, 183 आरटीए मय प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

455/28-2-17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 20.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर